भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

(193)

PBR/नि/मन्दसौर/भू-27/2017/1570

न्यायालय सम आदरणीय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण कमॉक– /निगरानी

अभिभाषक श्री ...
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 02-5-17
अधीक्षक 2.5.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

रामतीर्थ मृत वारिस जगदीशचन्द्र.....आवेदक

विरूद्ध

मदनलाल आदि .... अनावेदकगण

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन पत्र निम्नलिखीत प्रस्तुत हैं–

127
2/5/17

1. यह कि, प्रार्थी द्वारा न्यायालय, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय मंन्दसौर के प्रकरण कमॉक–4/अ–74/1999–2000 रामतीर्थ विरूद्ध ठाकुर वेणी सिंह में पारित आवेदन, आदेश 17 नियम 6 सीपीसी में पारित आदेश दिनॉक 30.3.2016 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय मन्दसौर के समक्ष निगरानी आवेदन पत्र दिनॉक 23.4.2016 को प्रस्तुत किया जो प्रकरण कमॉक 24/निगरानी/2015–16 पर कायम किया गया।

2. यह कि, श्रीमान् कलेक्टर महोदय मन्दसौर के द्वारा प्रकरण कमॉक 24/निगरानी/2015–16 विचारण किया जाकर दिनॉक 30.3.2017 को यह आदेश पारित किया कि, माननीय न्यायालय को निरगानी सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं हैं यदि आवेदक चाहे तो निगरानी आवेदन पत्र मान्नीय राजस्व मण्डल को प्रस्तुत कर सकता हैं।

3. यह कि, प्रार्थी द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय के समक्ष सद्भावना पूर्वक कार्यवाही कर मान्नीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय मन्दसौर के प्रकरण कमॉक 4/अ–74/1999–2000 में पारित आदेश दिनॉक 30.3.2016 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर मान्नीय न्यायालय में निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

4. यह कि, आदेश दिनॉक 30.3.2016 की निगरानी 24.4.2016 को प्रस्तुत की गई। चार दिन नकल के मुजरा किए जाकर 19 दिन तथा आदेश दिनॉक 30.3.2016 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी हेतु 7.4.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया 12.4.2016 को आदेश की नकल प्राप्त हुई। ऐसी दशा में नकल के दिन मुजरा किए जाकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र 60 दिन की अवधि में मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

अतः निवेदन हैं कि, प्रार्थी द्वारा संलग्न आवेदन के श्रीमान् कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार मान्नीय न्यायालय में निगरानी आवेदन पत्र मय धारा 14 अवधि विधान अधिनियम के आवेदन के साथ आदेश दिनॉक 30.3.2016 एवं श्रीमान् कलेक्टर महोदय के आदेश दिनॉक 30.3.2017 के साथ प्रस्तुत की जा रहीं हैं। सुनवाई में लिए जाने की कृपा करें।

इति, दिनॉकः– 2 मई 2017

शन

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/1570

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (3) प्रशासकीय सदस्य	